रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 941] नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल, 5, 2017/चैत्र 15, 1939
No. 941] NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 5, 2017/CHAITRA 15, 1939

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 मार्च, 2017

का.आ 1056(अ).—आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 138 की उपधारा (1) के उपवाक्य (क) के उप-वाक्य (ii) के अनुपालन में केन्द्र सरकार एतद्द्वारा उक्त उपवाक्य के उद्देश्य के लिए निदेशक, सतर्कता एवं भ्रष्टाचार विरोधी, तमिलनाडू सरकार को विनिर्दिष्ट करती है।

यह स्पष्ट किया गया है कि आय कर प्राधिकारी, जैसा कि अधिसूचना सं. सा. का. सं. 731(अ) दिनांक 28.07.2000, में विनिर्दिष्ट किया गया है-

(i) इस राय को बना लेने के बाद कि ऐसी सूचना को इसलिए देना जरूरी है कि उपर्युक्त अधिसूचित प्राधिकारी अपने द्वारा लागू किए जाने वाले कानून के अंतर्गत काम कर सकें, संगत तथा परिशुद्ध सूचना उपलब्ध कराएगा; और

(ii) इस अधिसूचना के तहत विनिर्दिष्ट प्राधिकारी को यह निर्देश देगा कि इस प्रकार दी गई सूचना की गोपनीयता पूरी तरह से बनाए रखी जा सके।

[अधिसूचना सं. 22/2017/फा. सं. 225/285/2015-आईटीए. II]

रोहित गर्ग, निदेशक, आईटीए-II, सीबीडीटी

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

[CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES]

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th of March, 2017

S.O. 1056(E).—In pursuance of sub-clause (ii) of clause (a) of sub-section (1) of section 138 of the Income-tax Act, 1961, the Central Government hereby specifies Director, Vigilance and Anti-Corruption, Government of Tamilnadu for purposes of the said clause.

It is clarified that income-tax authority, as specified in Notification No. S.O. No. 731(E) dated 28.07.2000, shall-

(i) furnish only relevant and precise information after forming an opinion that furnishing of such information is necessary so as to enable the above notified authority to perform its functions under the law being administered by it; and

(ii) convey to the authority being specified vide this notification to maintain absolute confidentiality in respect of information being furnished.

[Notification No. 22/2017/F. No. 225/285/2015-ITA.II]

ROHIT GARG, Director-ITA.II, CBDT

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2017.04.06 12:27:59 +05'30'